भारत सरकार

खान मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2854

दिनांक 20.12.2023 को उत्तर देने के लिए

जिला खनिज फाउंडेशन

2854. श्री अशोक महादेवराव नेते:

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 के अनुसार जिला खनिज फाउंडेशन (डीएमएफ) की स्थापना की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने जिला खनिज फाउंडेशन की शासी परिषद के अध्यक्ष के रूप में जिला कलेक्टर के स्थान पर संबंधित जिले के लोक सभा जनप्रतिनिधि को नियुक्त करने की दिशा में इस अधिनियम के अंतर्गत कोई कदम उठाया है/उठाने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

खान, कोयला एवं संसदीय कार्य मंत्री

(श्री प्रल्हाद जोशी)

(क) से (ड.): जी, हां। एमएमडीआर अधिनियम, 1957 की धारा 9ख राज्य सरकारों को खनन संबंधी कार्यों से प्रभावित व्यक्तियों तथा क्षेत्रों के हित और लाभ के लिए कार्य करने हेतु जिला खनिज फाउंडेशन (डीएमएफ) की स्थापना करने तथा राज्य में डीएमएफ के गठन और कार्यों के लिए नियम बनाने का अधिकार देती है। तदनुसार, 23 राज्यों के 644 जिलों में डीएमएफ का गठन किया गया है।

खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2021, जो दिनांक 28.03.2021 को लागू हुआ, आगे केंद्र सरकार को डीएमएफ द्वारा निधि की संरचना और उपयोग के संबंध में राज्य सरकारों को निर्देश जारी करने का अधिकार देता है। तदनुसार, केंद्र सरकार ने व्यापक लोकहित में शासी परिषद में सांसदों, विधायकों और विधान पार्षदों को शामिल करने तथा शासी परिषद और प्रबंध समिति के गठन में एकरूपता बनाए रखने के उद्देश्य से भी दिनांक 23.04.2021 के आदेश द्वारा सभी राज्यों को निदेश जारी किए हैं। संशोधित दिशा निर्देश विचाराधीन है।

जिले का प्रशासनिक प्रमुख, अर्थात जिला कलेक्टर, डीएमएफ का अध्यक्ष है और जिले के खनन प्रभावित क्षेत्र के निर्वाचित प्रतिनिधियों को शासी परिषद के सदस्यों के रूप में शामिल किया गया है।

*****